

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (K-444) अलेसे-1/ 3003-3009 दिनांक:- 29/03/2023

आदेश

श्री केहरी सिंह, (लिंक नं. 3533), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा द्वारा जिला कलक्टर, कोटा के आदेश संख्या 8725 दिनांक 28.02.2020 के अनुसरण में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 30.05.2021 तक अपने पद के कार्य के साथ-साथ कार्यालय पंचायत समिति, लाडपुरा, कोटा में सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक (पद रिक्त दिनांक 01.01.2020 से अधिकतम 6 माह तक) स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभार स्वीकृत किया जाता है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (K-444) अलेसे-1/ 3003-3009 दिनांक:- 29/03/2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा।
2. कार्यालय पंचायत समिति, लाडपुरा, कोटा।
3. कोषाधिकारी, कोटा।
4. श्री केहरी सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, कोटा।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)